



न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), लालगंज, प्रतापगढ़।

मूलवाद संख्या—541 / 2020

अनुरुद्ध प्रसाद बनाम सफीक आदि।

**दिनांक: 20.09.2022**

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 14क2 के निस्तारण हेतु बल दिया।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र 14क2:**— प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 14क2 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 व आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 व धारा 5 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में वादी सं0 1 अनुरुद्ध प्रसाद की मृत्यु दिनांक 07.09.2021 को हो गयी है। अपरिहार्य कारणों से मृतक वादी के वारिसानों को कायम मुकाम किया जाना निर्धारित समयावधि में नहीं हो सका है जिससे मृतक वादी के सम्बंध में वाद के उपषमन की स्थिति पैदा हो गयी है। वाद के सम्यक न्याय एवं निर्णयन हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों के आधार पर धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए उत्पन्न उपषमन की स्थिति को समाप्त करते हुए मृतक वादी के निम्नलिखित विधिक वारिसानों को वादपत्र में कायम मुकाम किये जाने एवं तदनुसार वादपत्र में संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा उक्त की कायम मुकामी एवं वादपत्र में वांछित परिणामिक संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 14क2 दिनांक 17.12.2021 को उक्त की कायम मुकामी एवं वादपत्र में परिणामिक संशोधन किये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है, जो कि मियाद बाहर है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का कथन करते हुए लाभ प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने से वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपितु न्याय निर्णयन में सहायता होगी। अतः प्रार्थना पत्र 14क2 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

#### **आदेश**

प्रार्थना पत्र 14क2 स्वीकार किया जाता है। वादी वांछित संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त लिखित कथन हेतु दिनांक 01.12.2022 को पेश हो।

सिविल जज(जू0डि0)  
लालगंज, प्रतापगढ़।